

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2024/ 316

दिनांक 29/01/2024

प्रार्थी :-

1.रूपाराम पुत्र आदूराम  
जाति जाट, निवासी शेरपुरा (लीलसर)  
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:-

1.गेमराराम पुत्र मोडाराम 2.हुकमाराम पुत्र शिवनाथराम  
3.बाबूलाल पुत्र जगूराम 4.भीखाराम पुत्र लालाराम  
5.श्रवणकुमार पुत्र लुम्भाराम 6.हीरोदेवी पत्नि लुम्भाराम  
7.नेनूदेवी पत्नि घमण्डाराम 8.तुलछाराम पुत्र करनाराम  
9.पीराराम 10.सेवाराम पि. घमण्डाराम, जातियान जाट,  
निवासी शेरपुरा (लीलसर),तहसील चौहटन,  
11.तहसीलदार चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम  
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 105/2023

दिनांक : 29.01.2024

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र लीलसर के मौजा शेरपुरा के खेत खसरा सं. 444/267 रकबा 02.6143 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हों तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2024/ 317 to 320  
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी रूपाराम
3. विप्रार्थीगण गेमराराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड/धौरीमन्ना/धनाऊ

उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन  
दिनांक 29/01/2024



(सूरजभान विश्नोई)

उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन